email: cfbhagi-forest-uk@nic.in फोन/फैक्स-0135-2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती पत्रांक -203 / 2-1, मुनिकीरेती, दिनांक- 27/ 07 / 2019

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादन।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में हिना सम्पर्क मार्ग से हिना गांव मोटर मार्ग हेतु 2.606 है0 का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में । (FP/UK/ROAD/25918/2017)

सन्दर्भ :-

आपके द्वारा इंगित ऑनलाईन कमियां दिनांक-01.09.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है, जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु

क0 सं0	कमियां	निराकरण
1.	In the place of justification, Alignment map has been uploaded at para-D(i) in form A, part'I. please upload justification with authenticated by DFO.	बिन्दु संख्या—01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन पार्ट—I के पैरा—D(i) में अपलोड कर दिया गया है।
2.	In para-E of online part I, it is mentioned that permanent and temporaty Employment for 05 person and 36500 person respectively, is likely to be generated which does not appears to corrected.	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा पार्ट–1 के पैरा–E में परियोजना से संभावित रोजगार सृजन का सही विवरण अंकित कर दिया है ।
3.	Some other documents is uploaded in the place of Ownership, MoU and Non-encumberance certificate at section L-(iv) f,g,h in form A, part I. please rectify accordingly.	बिन्दु संख्या—03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा Ownership, MoU and Non-encumberance certificate यथास्थान अपलोड कर दिये गये हैं ।
4.	Shape of forest land proposed to be diverted is wrongly filled in Form A, part I.	बिन्दु संख्या—04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का Shape संशोधित कर Linear अंकित कर दिया गया है ।
5.	Alternate alignment map has not been uploaded at section D(ii) in form A, part I.	बिन्दु संख्या—05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट—1 के पैरा— D(ii) में वैकेल्पिक संरेखण का मैप अपलोड कर दिया गया है।
6.	CA sheme, CA site suitability certificate has not been uploaded in para-13 as additional information Form A, part II.	बिन्दु संख्या—06 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से क्षतिपूरक योजना एवं क्षतिपूरक स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र पार्ट—II के पैरा—13 एडिशनल इन्फोरमेशन में अपलोड कर दिया गया है।
7.	NPV calculation details has not been uploaded at para-13 in Form A, part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para-4 (i) in form A, part II.	बिन्दु संख्या—07 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से एन0पी0वी0 आगणन विवरण पार्ट—II के पैरा—13 एडिशनल इन्फोरमेशन में अपलोड कर दिया गया है।
8.	Tree list in 9m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 Form A, part II. Please rectify.	बिन्दु संख्या—08 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची पार्ट—II के पैरा—13 एडिशनल इन्फोरमेशन में अपलोड कर दिया गया है।
9.	Please provide seprate village wise details with mentioned area at section B-2-4 in Form A, part I.	बिन्दु संख्या—09 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा village wise details पार्ट—I के पैरा—B-2.4 में अंकित कर दिया गया है

च्रन संरक्षक ८ प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-392/12-1, दिनांक-25.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)